कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बैढ़न, जिला सिंगरौली, म0प्र0

वाहन नीलामी विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क0 एम.पी.02 एच.सी. 0217 का विकय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी/विकय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, शासकीय वाहन कमांक–एम.पी.02 एच.सी.0217 को कय करना चाहता है वह दिनांक–13.10.2025 को प्रातः 11 बजे कुटुम्ब न्यायालय परिसर बैढन जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विकय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन नायब नाजिर, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली से कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी/विकय की शर्ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं www.dcourtsin-mp@nic.in पर देखी जा सकती है।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय मुख्यालय बैढन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

वाहन नीलामी/विक्रय की शर्ते

1. शासकीय वाहन क्रमांक–एम.पी.02 एच.सी.0217 का अपलेखन मूल्य 95200/–रूपये निर्धारित है।

2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 13.10.2025 से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी/विक्रय किया जायेगा।

3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाडा आदि देय नहीं होगा।

4. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में लेने/बोली लगाने हेतु शासकीय वाहन हेतु पृथक से **रूपये 5000/–का बैंक ड्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के नाम से देय** नजारत अनुभाग में नीलामी दिनांक 13.10.2025 के एक दिन पूर्व तक जमा करना होगा।

5. स्वीकृत बोलीकर्त्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्त्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्त्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।

6. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर बोलीकर्त्ता को स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नियमानुसार चालान के माध्यम से शासन हित में जमा करना होगा। विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

7. बोली अंतिम रूप से मान्नीय प्रधान न्यायाधीश महोदय सिंगरौली द्वारा स्वीकृत की जावेगी। मान्नीय प्रधान न्यायाधीश महोदय सिंगरौली को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

8. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद के संबंध में वाहन नीलामी हेतु प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली को नीलाम/विक्रय की शर्तो में बदलाव करने का, शर्तों को आंशिक रूप से निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।

9. नीलाम/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर कुटुम्ब न्यायालय परिसर बैढन से ले जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर मान्नीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

10. नीलामी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्त्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्ते स्वीकार है।

11. सफल बोलीकर्त्ता द्वारा वाहन के नामांतरण टैक्स जमा करना, बीमा करना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में

कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

12. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग कुटुम्ब न्यायालय बैढन में जमा की जावेगी।

13. वाहन के संबंध में पूछतांछ हेतु नायब नाजिर, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के मोबाईल नम्बर 7389310978 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय मुख्यालय बैढन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)